कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।
पत्रांक -1631 /ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक– 04-01- 2022.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र,
मीरजापुर।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा पटवध से बसुहारी सम्पर्क मार्ग (चैनेज सं0 0.000 से 61.500 तक) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 34.6725 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 1114 वृक्षों/पौधों के पातन एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में प्रभावित 10.62 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 194 वृक्षों/पौधों के पातन अर्थात कुल प्रभावित 45.2925 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व बाधक 1308 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्र सं0–8बी/यू0पी0/06/251/2021/एफ0सी0/S-2/9 दिनांक–26.11.2021, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ के कार्यालय का पृष्ठांकन संख्या–1649/11–सी–एफ0पी0/ यू0पी0/रोड/59458/2020 दिनांक–30.11.2021, इस कार्यालय के पत्रांक–1404/ओबरा/15भू0ह0 दिनांक–03.12.2021 तथा अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0 जी0एस0वाई0 खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के कार्यालय का पत्रांक–1782/4सी–पी0एम0जी0एस0वाई0/2021 दिनांक–29.12.2021.

महोदय,

अवगत कराना है कि विषयक मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में प्रभावित होने वाले वन भूमि का प्रस्ताव उचित माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय में प्रेषित किया गया था। भारत सरकार के कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त अपने कार्यालय के पत्र दिनांक–26.11.2021 द्वारा कतिपय बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी। भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण करनें हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1404/ओबरा/15 भू0ह0 दिनांक–03.12.2021 द्वारा प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0 जी0एस0वाई0, खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र) से अनुरोध किया गया। अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0 जी0एस0वाई0, खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सोनभद्र के कार्यालय के पत्रांक–1782/4सी–पी0एम0 जी0एस0वाई0/2021 दिनांक–29.12.2021 द्वारा आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण करते हुए, वांछित अभिलेख इस कार्यालय में उपलब्ध कराया गया है। अतः भारत सरकार

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक–26.11.2021 द्वारा लगायी गयी आपत्ति	निराकरण
1	2	3
1	Administrative approval/ sanction letter of the project needs to be submitted.	इस बिन्दु के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश की प्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया है, **संलग्नक–1।**
2	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	इस बिन्दु के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना/मार्ग निर्माण में किसी प्रकार के मक का डिस्पोजल नहीं किया जायेगा। जिससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न किया गया है, **संलग्नक–2।**
3	The NET suitable are for plantation as per the GIS-DSS analysis is 43.24 ha. which is less then the actual required CA land area.	इस बिन्दु के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित 45.2925हे0 क्षेत्र से सम्बन्धित संशोधित जियो रिफरेन्सड मैप की प्रति व सी0डी0 संलग्न किया गया है, **संलग्नक–3।**
4	As per the SOI toposheet of the proposed diverted area only the forest part polygon has been shown, SOI toposheet of complete proposed diverted area needs to be submitted in which properly demarcation of the forest, as well as Non-forest area.	इस बिन्दु के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा एस0 ओ0आई0 टोपोशीट पर मार्ग की पूरी लम्बाई के क्षेत्रफल को इंगित करते हुए, वन क्षेत्रफल को हरे रंग एवं गैर वन क्षेत्रफल को लाल रंग से दर्शित करते हुए एस0ओ0आई0 मैप की प्रति संलग्न किया गया है, **संलग्नक–4।**

1	2	3
5	In SOI toposheet visibility is poor, original SOI toposheet for area proposed for diversion and CA land (high dpi) needs to be resubmitted.	इस बिन्दु के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित मार्ग एवं सी0ए0 लैण्ड की एस0ओ0आई0 टोपोशीट हाई डी0पी0आई0 पर स्कैन करके अपलोड कर दिया गया है। प्रस्तावित मार्ग एवं सी0ए0 लैण्ड की एस0ओ0आई0 टोपोशीट की प्रति संलग्न किया गया है, **संलग्नक–5।**
6	Geo-referenced cadastral map of the proposed CA land area needs to be submitted.	इस बिन्दु के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तावितं सी0ए0 लैण्ड का जियो रिफरेन्सड कैडेस्ट्रल मैप की प्रति एवं सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित किया गया है। मैप की प्रति संलग्न है, **संलग्नक–6।**
7	Since the road passes through Kaimur Wild Life Sanctuary, hence it is proposed to inspect the site and date of site inspection shall be communicated subsequently.	इस बिन्दु के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग के चैनेज 0.000 किमी0 से 20.000 किमी0 तक कैमूर वन्य जीव प्रभाग का भाग है, जिसके लिए दिनांक–02.12. 2020 को श्री अशोक कुमार सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी, गुर्मा रेंज द्वारा निरीक्षण किया गया है। जिसकी रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मीरजापुर से प्रमाणित है। जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु दिनांक–02.12.2020 को किया गया संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है, **संलग्नक–7।**

अतः प्रस्तावक विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया, सूचना/अभिलेख 04 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अभिलेख 03 प्रतियों में उच्च स्तर पर प्रेषित करनें की कृपा करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(प्रखर मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी
ओबरा वन प्रभाग, ओबरा–सोनभद्र।